

परवाना अमलदरामद

न्यायालय उप जिलाधिकारी (सदर), वाराणसी।

वाद संख्या-टी- 202014700103370सन्-2019

अन्तर्गत धारा-80 राजस्व संहिता 2006

मौजा- गौरा उपरवार परगना-कटेहर

तहसील-सदर, जिला-वाराणसी।

फूलचन्द यादव

बनाम

सरकार

तारीख फैसला -22-02-2020

तहसीलदार (सदर),
वाराणसी।

अतः ग्राम गौरा उपरवार परगना कटेहर तहसील सदर जिला वाराणसी स्थित खाता संख्या-00060 के आराजी नम्बर 30क एवं खाता संख्या-317 के आराजी नम्बर 30 रकबा 300 एयर, खाता संख्या-00457 के आराजी नम्बर 34 रकबा 137.5 एयर, खाता संख्या-00282 के आराजी नम्बर 276 रकबा 156 एयर, खाता संख्या-00149 के आराजी नम्बर 327 रकबा 15.5एयर, आराजी नम्बर 317 रकबा 20.166 एयर, आराजी नम्बर 277/130.166 एयर, एवं खाता संख्या-00602 के आराजी नम्बर 267/1 रकबा 253 एयर पर वी0पी0 संस्थान गौरा उपरवार चौबेपुर वाराणसी बजरिये अध्यक्ष फूलचन्द यादव पुत्र स्व0 गुरु प्रसाद निवासी ग्राम व पोस्ट दौलतपुर जिला गाजीपुर का नाम बतौर रसि भू सह खातेदार दर्ज है। आराजी नम्बर 30क,30ख /300 एयर, 34/137.5 एयर, 276/156 एयर, 327/15.5एयर,317/20.166 एयर, 277/130.166 एयर, 267/1/253 कुल08 गाटा /1062.332 एयर या 1.062 हे0 भूमि को कृषि प्रयोजन से भिन्न अकृषिक घोषित किया जाता है। राजस्व निरीक्षक/नायब तहसीलदार/तहसीलदार सदर की उपरोक्त आख्या इस आदेश का अंग होगी।

यह घोषणा केवल राजस्व की दृष्टि से की जा रही है। अन्य अधिनियमों एवं मास्टर प्लान पर उसका प्रभाव नहीं होगा। यदि भविष्य में उक्त भूमि पर कृषि मत्स्य, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि से सम्बन्धित कार्य हेतु भूमि का उपयोग किया जाता है तो धारा 82 राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत तहसीलदार तत्काल अपनी उद्घोषणा रद्द किये जाने हेतु आराजी0 प्रपत्र 26 पर प्रस्तुत करेंगे, अंकित किया जाय।

79
6/3/20



Jms
(महेन्द्र कुमार श्रीवास्तव)
उप जिलाधिकारी (सदर),
वाराणसी।